Office of the Comptroller & Auditor General of India
New Delhi -110 124

258

(For exclusive use in IA&AD and not to be quoted or published elsewhere)

Circular No.42 - Staff (App 1)/2012
No.991- Staff (App 1)/25-2010
Dated 23.11.2012

To

1. All Heads of Department in the IA&AD (excepting overseas Audit Offices)
2. Pr Director (Exam)
3. Director (P)

Subject: **Revised Recruitment Rules for the post of Multi Tasking Staff-reg.**

Sir/Madam,

I am to forward herewith a copy of the Indian Audit &Accounts Department Multi Tasking Staff Recruitment Rules, 2011. These Rules have been published in the Gazette of India Part-II-Sec 3(i) dated 13 August 2011 vide Ministry of Finance (Department of Expenditure) GSR No 230 dated 9th August 2011.

2. The future recruitment in the MTS cadre, if required has to be made through Staff Selection Commission. The cadre controlling offices shall place their requisition with Regional Directorate of Staff Selection Commission, under intimation to this office.

Yours faithfully,

Singh 23/xi/12

Encl: As above.

(Ranjit Singh)
Asstt. Comptroller and
Auditor General (N)

No – 5156/2012
LIBRARY
O/o the Comptroller & Auditor General of India
... Marg, New Delhi-124

249

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 33] नई दिल्ली, अगस्त 7—अगस्त 13, 2011, शनिवार/श्रावण 16–श्रावण 22, 1933

No. 33] NEW DELHI, AUGUST 7—AUGUST 13, 2011, SATURDAY/SRAVANA 16—SRAVANA 22, 1933

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2011

सा.का.नि. 230.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1988 और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (अभिलेखपाल) भर्ती नियम, 1985 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में बहु कार्य कर्मचारिवृंद के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग, बहु कार्य कर्मचारिवृंद भर्ती नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
बहु कार्य कर्मचारिवृंद (गैर तकनीकी)	5717* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 (5200–20200 रु.) + ग्रेड वेतन 1800 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	आयु 18 और 25 वर्ष के बीच **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) । रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए

	(7)
	निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय/बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य उत्तीर्ण	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनके प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) जो निम्नलिखित से बनेगी :– 1. ज्येष्ठ उप महालेखाकार/उपमहालेखाकार या प्रशासन समूह का भारसाधक समतुल्य पंक्ति का एक अधिकारी । 2. कोई दूसरा ज्येष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार या समतुल्य रैंक का एक अधिकारी (जिसमें से एक अधिकारी उस कार्यालय से भिन्न कार्यालय का हो जिसमें प्रोन्नति के संबंध में विचार किया जा रहा हो ।) 3. एक ज्येष्ठ लेखा अधिकारी/लेखा अधिकारी । **टिप्पण :** उपरोक्त 1 और 2 में से ज्येष्ठ अधिकारी अध्यक्ष होगा ।	लागू नहीं होता

[फा. सं. ए-12018/2/2010-ई.जी.]

सुभाष चन्द, उप सचिव

246

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 9th August, 2011

G.S.R. 230.—In exercise of the powers conferred by clause (5) of Article 148 of the Constitution, the President, after consultation with the Comptroller and Auditor General of India and in supersession of the Indian Audit and Accounts Department (Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1988 and Indian Audit and Accounts Department (Record Keeper) Recruitment Rules, 1985, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment in the field offices of the Indian Audit and Accounts Department to the posts of Multi Tasking Staff, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Indian Audit and Accounts Department Multi Tasking Staff Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of Pay.—The number of the said posts, their classification and the Scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and qualifications, etc..—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Comptroller and Auditor General of India may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Comptroller and Auditor General of India is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, he may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time in this regard as applicable to persons employed in the Indian Audit and Accounts Department.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay	Whether Selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Multi Tasking Staff (Non-Technical)	5717* (2011) *Subject to the variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-1 (Rs. 5200—20200)+ Grade Pay Rs. 1800	Not applicable	Not applicable	Between 18 to 25 years of age. Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date

(7)
prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep. In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Matriculation or equivalent pass from a recognized School/Board.	Not applicable	Two years

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(11)	(12)
By direct recruitment	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(13)	(14)
Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of : 1. Senior Deputy Accountant General/Deputy Accountant General or an officer of equivalent rank in-charge of administration group.	Not applicable.

2882 GI/11-2

(13)

2. Another Senior Deputy Accountant General/Deputy Accountant General or an officer of equivalent rank (from an office other than the one in which promotions are considered).

3. A Senior Accounts Officer/Accounts Officer.

Note : The senior amongst (1) and (2) above shall be the Chairperson.

[F. No. A-12018/2/2010-EG]

SUBHASH CHAND, Dy. Secy.

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2011

सा.का.नि. 231.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (अधीक्षण अभियंता) भर्ती नियम, 2002 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (अधीक्षण अभियंता) भर्ती (संशोधन) नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (अधीक्षण अभियंता) भर्ती नियम, 2002 की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :–

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अधीक्षण अभियन्ता	5*(2011) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है) ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3, 15600—39100 रु. जमा 7600 रु. ग्रेड वेतन	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003-05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 31] नई दिल्ली, जुलाई 27—अगस्त 2, 2014, शनिवार/श्रावण 5—श्रावण 11, 1936

No. 31] NEW DELHI, JULY 27—AUGUST 2, 2014, SATURDAY/SRAVANA 5—SRAVANA 11, 1936

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2014

सा.का.नि. 160.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से परामर्श के पश्चात् भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग, बहु-कार्य कर्मचारीवृंद भर्ती नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग, बहु-कार्य कर्मचारीवृंद भर्ती (संशोधन) नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग, बहु-कार्य कर्मचारीवृंद भर्ती नियम, 2011 की अनुसूची में स्तंभ (13) में "विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी", शीर्ष के अधीन मद संख्या 3 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

3. "ज्येष्ठ लेखा अधिकारी या लेखा अधिकारी या समतुल्य रेंक का कोई अधिकारी।"

[फा. सं. ए-12018/2/2010-ईजी]

सुभाष चन्द, निदेशक (ईजी)

पाद टिप्पण : मूल नियम सा.का.नि. सं. 230 तारीख 9 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 30th July, 2014

G.S.R. 160.—In exercise of the powers conferred by clause (5) of article 148 of the Constitution, the President after consultation with the Comptroller and Auditor General of India, hereby makes the following rules to amend the Indian Audit and Accounts Department, Multi Tasking Staff Recruitment Rules, 2011, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Audit and Accounts Department, Multi Tasking Staff Recruitment (Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Audit and Accounts Department, Multi Tasking Staff Recruitment Rules, 2011, in column (13), under the heading "Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of", for item 3, the following shall be substituted, namely :—

"3. A Senior Accounts Officer or Accounts Officer or an officer of equivalent rank".

[F. No. A-12018/2/2010-EG]

SUBHASH CHAND, Director (EG)

Footnote : The principal rules were published vide number GSR 230, dated the 9th August, 2011.

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

(सौर ऊर्जा केन्द्र)

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2014

सा.का.नि. 161.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सौर ऊर्जा केन्द्र, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1986 को जहां तक उनका संबंध आशुलिपिक जिनके श्रेणी 'घ', भंडारी और निम्न श्रेणी लिपिक के पद से है, सिवाय उन बातों के अधिक्रांत करते हुए जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई है या जिनके करने का लोप किया गया है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, सौर ऊर्जा केन्द्र में समूह 'ग' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, सौर ऊर्जा केन्द्र समूह 'ग' पद (आशुलिपिक श्रेणी 'घ', भंडारी और निम्न श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना.—ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :